



बिहार सरकार

समाहरणालय, जहानाबाद ।



ई-मेल—arms.jeh.bih@gmail.com

वेबसाईट—jehanabad.bih.nic.in

दूरभाष/फैक्स—06114-223142

पत्राक—सं०—

(जिला शस्त्र शाखा)

दिनांक—

आदेश

श्री नरेश शर्मा, पिता—स्व० जगदीश नारायण सिंह, ग्राम+पो०—घोषी, थाना—घोषी, जिला—जहानाबाद द्वारा सूचित किया गया है कि इन्हें निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०—141/1973—खिजसराय थाना, F.R No.-152/Jehanabad का लाइसेंस बुक खो गया है जिसके विरुद्ध घोषी थाना अन्तर्गत सन्हा सं०—SDE NO.-520/17, दिनांक—21.12.2017 दर्ज कराया गया है। इनके अनुज्ञप्ति का UIN-051580006309112015 सृजित है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोषागार चालान से द्वितीय अनुज्ञप्ति निर्गमन हेतु निर्धारित शुल्क जमा किया गया है।

अतः आयुध नियम—2016 के नियम—28 के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी श्री नरेश शर्मा के अनुज्ञप्ति सं०—141/1973—खिजरसराय थाना, F.R.No-152/Jehanabad के द्वितीय अनुज्ञप्ति पुस्तिका (Duplicate Licence Book) निर्गत करने की स्वीकृति दी जाती है।

हस्ताक्षर

जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।

XI-2/17-

ज्ञापांक—352/शस्त्र, जहानाबाद, दिनांक—10.11.18

- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, एन० आई० सी०, जहानाबाद को जहानाबाद के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- श्री नरेश शर्मा, पिता—स्व० जगदीश नारायण सिंह, ग्राम+पो०—घोषी, थाना—घोषी, जिला—जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- एक प्रति रक्षी संचिका।

जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।